<u>माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ</u>

<u>नीलामी सूचना</u>

नीलामी की तिथि : दिनांक 26.09.2019

नीलामी का स्थान : M- Block
उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **'एम' ब्लाक** में स्थिति **05 दुकानें : भू–तल पर 3 दुकानें** (2 फ्रेश जूस एवं फल, 1 फोटोकॉपी) **एवं प्रथम तल पर 2 दुकानें** (1 इण्टरनेट कैफे, 1 दवाई की दुकान) को **अनुज्ञप्ति** पर दिये जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्त्यिों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

इसी के साथ **01 केबिन : प्रथम तल पर** स्टेशनरी विक्रेता हेतु **अनुज्ञप्ति** पर दिये जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्त्यिों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

उपरोक्त वर्णित **दुकानों एवं केबिनों** की **नीलामी दिनांक 26.09.2019 (गुरूवार)** को **प्रातः 11.00 बजे माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लाक परिसर** में की जायेगी। दुकानों/केबिन के उपयोग व नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न है जिन्हे, इच्छुक व्यक्ति द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 24.09.2019 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक रूपये 100.00 का शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 24.09.2019 तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध है तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ 'वरिष्ठ निबन्धक, हाई कोर्ट, लखनऊ' के नाम रूपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान/केबिन के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

दुकानों/केबिनों की नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के गेट नम्बर– 6 के निकट, फैजाबाद रोड की तरफ स्थित **'पास सेक्शन'** में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में **दिनांक 24.09.2019 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे** तक प्राप्त की जा सकती है। वरिष्ठ निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन पत्र को बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकते है।

दिनांक : 11.09.2019

हस्ताक्षर
विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन)
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

कुल दुकाने – 05

कम संख्या	दुकान संख्या, (जैसा कि प्रत्येक दुकान में अंकित है)	दुकान का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	दुकान का प्रकार (जिस हेतु दुकान अनुज्ञप्ति पर दिया जाना है)
भूतल			
1	5	189.15	फ्रेश जूस तथा फेस कट की दुकान हेतु Fresh Juice and Fresh Cut Fruits
2	6	182.50	फ्रेश जूस तथा फेस कट की दुकान हेतु Fresh Juice and Fresh Cut Fruits
3	13	185.13	फोटोकॉपी की दुकान हेतु Photocopy
4	106	182.50	इन्टरनेट कैफे हेतु Internet Cafe for E-Mail/Scanned Mail/Digital Signature [without wired connection (through dongle/any other wireless mode)
5	107	179.19	दवाई की दुकान हेतु Medicine Shop

कुल केबिन – 01

कम संख्या	दुकान संख्या, (जैसा कि प्रत्येक दुकान में अंकित है)	दुकान का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	दुकान का प्रकार (जिस हेतु दुकान अनुज्ञप्ति पर दिया जाना है)
प्रथम तल			
1	119	38	स्टेशनरी की दुकान हेतु Stationery Seller

<u>नीलामी की शर्तें</u>

1. दुकानें/केबिन 'जहॉ है जैसी है' की स्थिति में दिनांक **26.09.2019 से दिनांक 31.03.2020** तक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेंगी।

2. **दुकानों** के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु **अग्रिम जमानत राशि रू0 20,000/–** एवं **केबिनों** के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु **अग्रिम जमानत राशि रू0 5,000/–** नकद जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम जमानत राशि उसके अनुज्ञप्ति शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी।

3. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन–पत्र पर, जिसका मूल्य रूपये 100.00 प्रति आवेदन पत्र होगा, आवेदन करना होगा जोकि माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **24.09.2019** तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है तथा पूर्ण रूप से भरे जाने के पश्चात् इन आवेदन पत्रों को दिनांक **24.09.2019** तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

4. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **24.09.2019** तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

5. नीलाम होने वाली दुकानों/केबिनों को नीलामी वाले दिन नीलामी के समय से **2 घण्टे पूर्व** गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास/अनुमति प्राप्त कर, माननीय उच्च न्यायालय में स्थित 'एम' ब्लाक में देखा जा सकता है तथा बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त दुकानों/केबिनों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

6. **किसी भी दुकान** की बोली हेतु **न्यूनतम निर्धारित मूल्य (अनुज्ञप्ति शुल्क) रू0 1,15,000.00** है। **किसी भी केबिन** की बोली हेतु **न्यूनतम निर्धारित मूल्य (अनुज्ञप्ति शुल्क) रू0 10,000/–** है।

7. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की **25 प्रतिशत धनराशि (अग्रिम जमानत धनराशि समायोजित करने के पश्चात् शेष धनराशि)** तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा नही की जाती है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमानत की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इस स्थिति में नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित दुकान/केबिन को अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकता है तथा इस प्रकार आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी बोली के अनुसार उपरोक्त शर्तों को पालन किया जायेगा।

8. **शेष 75 प्रतिशत धनराशि सफल व्यक्ति को नीलामी की दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पहले से**

जमा 25 प्रतिशत धनराशि भी नीलामी समिति के विवेकानुसार जब्त की जा सकती है।

09. नीलामी की गयी दुकान/केबिन का कब्जा उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को तभी दिया जायेगा, जबकि उसने दुकान/केबिन के अनुज्ञपप्ति शुल्क का पूरा भुगतान कर दिया हो।

10. बोली में सफल व्यक्ति को दुकान/केबिन लेने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के साथ दिनांक 26.09.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि हेतु संचालन के लिए रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुज्ञप्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होगें।

11. बोली में सफल जिस व्यक्ति को दुकान/केबिन दी जायेगी, वह व्यक्ति दिनांक 31.03.2020 तक दुकान से अपना सामान हटा कर रात्रि 12.00 बजे तक या उससे पहले दुकान/केबिन खाली कर देगा तथा दुकान/केबिन का कब्जा नजारत विभाग को दे देगा।

12. जिस उद्देश्य हेतु दुकान/केबिन की नीलामी की जायेगी, वह दुकान/केबिन उसी उद्देश्य हेतु प्रयोग की जायेगी, अन्य किसी प्रकार से नही।

13. बोली में सफल व्यक्ति दुकान/केबिन को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा। बोली में सफल व्यक्ति दुकान/केबिन में कूड़ादान रखेगा तथा कूड़ा–कचरा उसी कूड़ादान मे डालेगा।

14. बोली में सफल व्यक्ति दुकान/केबिन की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नही करेगा और न ही दुकान/केबिन को कोई नुकसान पहुचायेगा।

15. दुकान/केबिन में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं दुकान रखने वाली की होगी तथा माननीय उच्च न्यायालय किसी भी दशा में चारी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नही होगा।

16. दुकानों/केबिनों का संचालन सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 प्रत्यके कार्य दिवस को सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 तक किया जा सकेगा।

17. दुकान मे प्रयोग की जाने वाली बिजली के लिये अलग से एक सब–मीटर लगा हुआ है तथा दुकान लेने वाले व्यक्ति को मीटर की रीडिंग के अनुसार प्रति माह उ0 प्र0 में प्रचलित बिजली दर के अनुसार उच्च न्यायालय के कैश विभाग में जमा करना होगा।

18. दुकानों/केबिनों में सामान्य बिजली कनेक्शन दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो माननीय उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति लेकर वह स्वयं अपने खर्चे पर इस प्रकार का प्रबंध कर सकता है। इस स्थिति में दुकान/केबिन को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को हटाना होगा तथा ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नही कारित की जायेगी।

19. एक व्यक्ति को केवल एक ही दुकान/केबिन अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक दुकान/केबिन अनुज्ञप्ति पर नही दी जायेगी।

20. जिस व्यक्ति को दुकान/केबिन अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति का वह दुकान/केबिन संचालन हेतु नही देगा।

21. बोली में सफल व्यक्ति अनुज्ञप्ति पर दुकान/केबिन प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को दुकान/केबिन हस्तांतरित नही कर सकता है।

22. **फोटोकापी की दुकान के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति, जिसको दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जाती है, वह दुकान में अधिकतम <u>तीन फोटोकापी मशीन ही रख सकता है</u>।**

23. माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में कार्यावधि के दौरान किसी भी दुकान/केबिन के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

24. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है तो उच्च न्यायालय प्रशासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

25. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन होगी।

26. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

27. नीलामी के ठीक पूर्व नीलामी समिति द्वारा अन्य नियम व शर्तों की जानकारी दी जायेगी।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर
विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन)
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

Hon'ble the High Court, Lucknow

Auction Notice

Date of Auction :	**26.09.2019**
Place of Auction :	**M-Block High Court, Gomti Nagar, Lucknow.**

It is informed to the general public at large that applications are invited from the persons interested to participate in the auction for grant of the license of **05 shops** situated in **'M' Block** : **3 shops at ground floor** (2 for Fresh Juice and Fruits, 1 for Photocopy) and **2 shops at first floor** (1 for Internet Cafe , 1 for Medicine).

Simultaneously, applications are also invited from the persons interested to participate in the auction for grant of the license of **01 Cabin at first floor** for Stationary Seller, situated in **'M' Block.**

The **auction** of aforementioned **shops and cabins** shall be held on **26.09.2019 (Thursday) at 11.00 a.m. in 'M' Block of Hon'ble the High Court, Gomti Nagar, Lucknow**. The terms and conditions for usage and auction of the shops/ cabins are enclosed with the application which may be obtained by the interested person from the prescribed counter of 'Pass Section' at Hon'ble the High Court, during 10.00 a.m. to 2 p.m. on any working day up to 24.09.2019, by paying fee of Rs. 100/- and completed application forms may be submitted at prescribed counter of 'Pass Section' at Hon'ble the High Court during 10.00 a.m. to 4:00 p.m. on any working day up to 24.09.2019.

The terms & conditions and application forms for auction are also available on the website www.allahabadhighcourt.in of Hon'ble the High Court which may be downloaded as well. However, at the time of submission of the application form regarding the auction of shop / cabin, it would be mandatory to enclose a Demand Draft for Rs. 100/- in favour of 'The Senior Registrar, High Court, Lucknow'.

Any information regarding the auction of shops/ cabins may be obtained from the prescribed counter of **'Pass Section'** at Hon'ble the High Court, situated near Gate No. 6, towards Faizabad Road, **during 10.00 a.m. to 2 p.m. on any working day up to 24.09.2019.** The Senior Registrar, Hon'ble the High Court, Lucknow shall have the right to reject or cancel any application without assigning any reason.

Sd/-

Date : 11.09.2019

O.S.D. (J) (Admin.)
High Court, Lucknow

Vacant Shops (05) :

Sl. No.	Shop No.	Area of shop (in sq.ft)	Type of Shop
Ground Floor			
1	5	189.15	Fresh Juice and Fresh Cut Fruits
2	6	182.50	Fresh Juice and Fresh Cut Fruits
3	13	185-13	Photocopy
4	106	182-50	Internet Cafe for E-Mail/Scanned Mail/Digital Signature [without wired connection (through dongle/any other wireless mode)
5	107	179-19	Medicine Shop

Vacant Cabins (01) :

Sl. No.	Cabin No.	Area of cabin (in sq.ft)	Type of Cabin
1	119	38	Stationery Seller

<u>Terms and Conditions of Auction</u>

1. The shops/cabins will be auctioned for grant of license from the date of the auction till the end of this financial year (i.e. **31.03.2020)** on 'as is where is' basis.

2. For participating in the auction, the bidder for shops/cabins shall have to deposit **Rs. 20,000.00 as Advance Earnest Money (*in cash*) and for cabins the bidder shall have to deposit Rs. 5,000 as Advance Earnest Money (*in cash*)** which after completion of the auction, shall be returned to unsuccessful bidder in auction in accordance with the rules and in case of the successful bidder, the Earnest Money will be adjusted against his annual license fees.

3. Any information related to Auction can be obtained from Pass Section on any working day between 10:00 A.M. to 2:00 P.M. till 24.09.2019.

4. The participants who are interested in the Auction, will have to fill the Application form (cost Rs. 100 each), which will be available at the counter of Pass Section of High Court. The applicants can buy the form between 10:00 A.M. to 2:00 P.M. till 24.09.2019. After filling the complete form, applicant has to submit the filled form between 10:00 A.M. to 4:00 P.M. till 24.09.2019.

5. Shops/cabins which are to be auctioned may be inspected by the bidder in 'M' - Block of the High Court, on the day of auction, till 2 hours before the start of the auction, after duly obtaining the pass/permission from gate No. 6 and it will be the duty of the bidder himself to carry out the complete inspection of the above-mentioned shops/cabins before bidding.

6. **Minimum Reserve Price (Annual License Fees) for any of the <u>shops</u> is Rs. 1,15,000.00** and **Minimum Reserve Price (Annual License Fees) for any of the <u>cabin</u> is Rs 10,000** *(as the shop/cabin is being auctioned for the duration nearly 6 months i.e. from the date of the auction till the end of this financial year (i.e. 31.03.2020))* and the person, who offers the highest bid for the concerned shop/cabin, will be allotted that shop.

7. The bidder whose final bid is accepted, will be required to deposit 25 percent amount of the bid money (balance amount after adjusting the advance earnest money) immediately, if the 25 percent money is not deposited immediately by the bidder, then the bid shall be deemed canceled automatically and the Advance Earnest Money shall be forfeited.

   In this situation, the Auction Committee shall have the right that it may offer the next highest bidder to give him the concerned shop/cabin on license and the person so called shall have to comply with the above conditions as per his bid.

8. The Successful bidder shall have to deposit the remaining 75 percent amount, ***through Bank Draft drawn in favor of Senior Registrar, High Court Lucknow Bench, Lucknow*** within 15 working days from the date of auction, else canceling the bid, the Advance Earnest Money shall be forfeited and the 25 percent amount deposited earlier may also be forfeited at the discretion of the Court.

9. Possession of the shop/cabin auctioned shall be delivered to the highest bidder, only after he has deposited / paid the total annual license fees of the shop/ cabin.

10. Before handing over the shop/cabin to the successful bidder, the bidder shall have to sign/enter into a license agreement on non-judicial stamp of Rs. 100/- with the High Court, for the duration starting from the date of the auction till the end of this financial year (i.e. **31.03.2020)** .

11. Successful bidder, to whom the shop/cabin is allotted, shall vacate the shop/cabin removing all his belongings before 12 a.m. on 31.03.2020 and shall handover the possession of shop/cabin to the Nazarat section.

12. The shop/cabin shall be used only for the purpose, for which it was auctioned; and not for any other purpose.

13. The successful bidder shall maintain the shop/cabin in neat and clean condition. The successful bidder shall keep a dustbin and dispose-of all the waste and garbage in that dustbin.

14. The successful bidder shall neither permanently alter nor cause any damage to the shop.

15. The shopkeeper himself shall be responsible for safety of the articles kept in the shop/cabin and the High Court, under any circumstances, shall not be liable for theft, burglary, fire or any other incident, if any.

16. The shop/cabin may be operated from 9 a.m to 7 p.m on all working days.

17. A sub-meter has been installed for the electricity being used in the shop and the allottee of the shop has to deposit the electricity charges every month, as per the meter reading, in accordance with electricity rates prevailing in Uttar Pradesh, in the Cash Section of the High Court.

18. A normal electrical connection has been provided in the shops. If any person intends to install some specific electrical appliance(s), he may arrange the same at his expenses with the prior consent of the Hon’ble High Court. In this condition, he shall have to uninstall such electrical appliances etc. at the time of vacating the shop.

19. One person will be allotted only one shop/cabin on license. No person shall be allotted more than one shop/cabin on license.

20. The person who is allotted shop/cabin on license, shall use the shop/cabin himself and not allow any other person to operate the shop/ cabin.

21. The successful bidder, after getting the shop/cabin on license, can not transfer the shop/cabin to any other person.

22. As regards photocopy shop, any person to whom the shop is allotted on license, can keep a maximum of three photocopy machines in the shop.

23. The High Court Administration shall have the right to carry out the physical inspection of the premises of any shop/cabin without any prior notice during the working hours on any working day.

24. In case of non-compliance of the above-mentioned condition by the licensee, the High Court reserves the right to revoke the license agreement.

25. The Auction Committee reserves the right to reject any bid without assigning any reason. The acceptance of the final bid shall be subject to the approval of the Competent Authority.

26. As regards auction, all the legal proceedings shall be subject to Lucknow jurisdiction.

27. Other terms and conditions shall be disclosed by the Auction Committee, just before the Auction.

Sd/-

Date : 11.09.2019

O.S.D. (J) (Admin.)
High Court, Lucknow

<u>केबिन हेतु</u>

<u>आवेदन पत्र</u>

आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के '**M - Block**' में स्थित **<u>केबिन</u>** को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. केबिन की श्रेणी : (1) स्टेशनरी सेलर हेतु

2. प्रार्थी का नाम/फर्म का नाम : (जिसके नाम आवेदन किया जाना है)

3. पिता/पति का नाम / प्रोपराइटर का नाम :

4. लिंग :

5. उम्र :

6. पता :

7. राष्ट्रीयता :

8. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से डाउन लोड किया गया है तो :

   डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि

9. मोबाईल नम्बर :

दिनांक : /09/2019

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

संलग्नक

आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

<u>दुकान हेतु</u>

<u>आवेदन पत्र</u>

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के '**M - Block**' में स्थित **<u>दुकान</u>** को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. दुकान की श्रेणी :
(जो लागू हो उसमें से एक पर ही टिक √ कर दे)
(1) फोटोकापी हेतु ___
(2) मेडिसिन हेतु ___
(3) फ्रेस जूस एण्ड फेस कट फ्रूट्स हेत ___
(4) इन्टरनेट कैफे हेतु ___

2. प्रार्थी का नाम/फर्म का नाम :
(जिसके नाम आवेदन किया जाना है)

3. पिता/पति का नाम / प्रोपराइटर का नाम :

4. लिंग :

5. उम्र :

6. पता :

7. राष्ट्रीयता :

8. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से डाउन लोड किया गया है तो :

डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम

डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम

डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या

डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि

9. मोबाईल नम्बर :

दिनांक : /09/2019 **आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर**

संलग्नक

Special Terms & Conditions of auction of Shops and Cabins :

The special terms & conditions for auction of shops and cabins :

Sl.No.	Type & Purpose	Terms & Conditions.
1.	For Photocopy, Photography, Typist, stationery seller and Law Book Sellers	All the terms & conditions which were prevailing during the last auction in the year 2017 will remain same.
2.	Collection Center of Samples for Pathological Tests	The License Holder will run his shop as per norms prescribed by Medical Council and also ensure that all the biomedical/clinical waste will be disposed off, daily, by the License Holder as per prescribed norms of the Medical Council.
3.	Milk Booth (Parag)	The License Holder shall keep the dustbin and ensure cleanliness in and around the Shop.
4.	Travel Agent / Internet Cafe / Computer Servicer Centre / Computer Stationery	The License Holder shall arrange for internet connection on his own (through dongle or any other device). High Court will not provide any kind of wired connection.
5	Fresh Juice and Fresh Cut Fruits	The License Holder shall ensure only fresh juice and fresh cut fruits are served in the Shop.